राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3429/2023

श्रीमती मंजू वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.12.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी के पति डॉ. धर्मपाल वर्मा सरकारी औषधालय, केकड़ी, अजमेंर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन दुर्भाग्वश 28.03.2017 को चिकित्सा अधिकारी के पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अपीलार्थी के पति की मृत्यु के कारण अपीलार्थी के पति डॉ. धर्मपाल को दिनांक 18.07.2017 को सेवा से पृथक कर दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी केवल अपने दिवंगत पति डॉ. धर्मपाल वर्मा की कानूनी प्रतिनिधि है। इस प्रकार अपीलार्थी अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संबंधित विभाग में कई बार नोटिस भी प्रस्तुत किये लेकिन उनका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को बिना किसी कारण के आज तक पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के पति की मृत्यु के कारण पारिवारिक पेंशन उसके पति

की मृत्यु दिनांक 2603.2017 से बकाया पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य